परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत डूंगरा (बच्छणस्यूं) से आरस्यूं तक तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 3.00 किमी0

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश

--------------------संलग्न है--------------------

अपर सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

(34) (22)

IRRIGATION & SOCIAL WEL #1845 P.001

15 01352666080

संख्या– 6705 / 111(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010 टीसी0–4

पत्र प्राप्ति का (क्रमांक) 470
पत्रावली संख्या
प्राप्ति का दिनांक 20/12/11

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादून दिनांक 03 फरवरी, 2011

लोक निर्माण अनुभाग–2

विषयः– विधानसभा क्षेत्र–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो की प्रशासकीय, वित्तीय एवं व्यय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता गढ़वाल क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी द्वारा विधानसभा क्षेत्र–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित 05 कार्यो हेतु उपलब्ध कराये आगणनों के निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यो यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू–अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदों, के लिये टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 189.00 लाख (₹ एक करोड़ नवासी लाख मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 05 कार्यो हेतु ₹ 0.50 लाख (₹ पचास हजार मात्र) के व्यय की, महामहिम श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:– 1764/111(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही हो तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– आगणन में जिन मदो हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद मे किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। स्वीकृत अनुमान के सापेक्ष कम व्यय होने की दशा में बचत की धनराशि यथा समय समर्पित की जायेगी।

7– स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। बजट मैनुअल के समस्त संगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

Copy Attested

A Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Rudraprayag

--2--

...ीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता ...

...स संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान 30- ...शीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत ...य स्तर-03 [illegible] - 02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

...यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 774/XXVII/(2)/2010 दि0 01 फरवरी, 2011 में ...र्ण सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

...- यथोपरि।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

-6985 (1)/III(2)/10-18(प्रा0आ0)/2010 टी0सी0-4 तद्दिनांक।

...पे निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित -

महालेखाकार (लेखा परीक्षा) ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
जिलाधिकारी, [illegible]।
मुख्य अभियन्ता, [illegible] क्षेत्र लो.नि.वि., पौड़ी
मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी जनपद रुद्रप्रयाग/देहरादून।
निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
अधीक्षण अभियन्ता, [illegible] वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर।
लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन
गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(महिमा)
अनु सचिव

Assistant Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Rudraprayag

24

-3-

शा०सं०- [illegible] / 111(2) / 10-18(प्रा०आ०) / 2010 टी०सी०-4 दि० 03 फरवरी, 2011
का संलग्नक

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष 2010-11 में व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख ₹ में)
01	02	03	04	05
01	जनपद रूद्रप्रयाग में काण्डई- बेरागना-पाटी (बचणस्यू) मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	0.10
02	जनपद रूद्रप्रयाग में डुंगा (बचणस्यू) से आरस्यूं मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	0.10
03	जनपद रूद्रप्रयाग में चोपड़ा-डुंग्री-चापड़ मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	0.10
04	जनपद रूद्रप्रयाग में सारी-बिजराकोट मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	0.10
05	जनपद रूद्रप्रयाग में जखोली में धार्न्यू-कोटी -धरड़ा मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	37.80	0.10
	योग:-	15.00	189.00	0.50

(कुल ₹ पचास हजार मात्र)

Photo Copy Attest

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

AAE

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
Prov. Div. P.W.D.
Rudraprayag